(8)

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक / /2020

**//कार्यालय-आदेश//**

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2020 सत्र के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

दिनांक 15 एवं 23 फरवरी, 2020 को कार्यालय समय प्रात: 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा । सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 को कार्यालय का समय प्रात: 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा ।

समस्त अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् प्रमुख सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे ।

समस्त अधिकारी/कर्मचारी उन्हें प्रदायित ब्लेजर/सफारी में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे । समस्त वाहन चालक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित ड्रेस, जूते एवं टोपी पहनकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

सत्र के दौरान घड़ी चौक एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 30 मिनट पश्चात् तथा विजेता काम्प्लेक्स जाने वाली मिनी बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात् रहेगा ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

संचालक,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 1866 /वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक 14/02/2020

प्रतिलिपि

01. मान. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

(हस्ताक्षर)

संचालक
छत्तीसगढ़ विधान सभा